1: निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

निविदा प्रपत्र https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें। यह निविदा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल के उपयोग के लिए स्थानीय एवं मुख्यालय से बाहर प्रति किलोमीटर की दरों पर एसी/नॉन ए.सी. वाहन उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों से आमंत्रित की जा रही है। निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र) है।

निविदा से संबंधित तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा (Submit) करना होगा |दस्तावेजो की सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न चेकलिस्ट में दी गयी है | किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को होगा, जिसकी पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा |

प्रक्रिया :-

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1000 (रूपये एक हजार मात्र) एवं सुरक्षा निधि रूपये 90000 (रूपये नब्बे हजार मात्र) ऑनलाइन जमा की जाएगी। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
2. प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जाएगी। तकनीकी निविदा के भाग-4 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।
3. प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
4. तकनीकी निविदा के भाग 4 में दर्शित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित करके अपलोड किये जाएंगे।

भाग - 2: निविदा की अर्हकारी शर्तें

2.1 ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में वाहन अनुबंध आधार पर प्रदाय करने का अनुभव हो। संबंधित संस्था के कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

2.2 विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) में न्यूनतम रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) औसत टर्नओवर होना अनिवार्य है। ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा टर्नओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित प्रति अनिवार्यत: संलग्न की जाएगी।

2.3 विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के आयकर रिटर्न की छायाप्रति भी संलग्न करें।

2.4 ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

2.5 GST नंबर, PAN CARD और ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म के वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

2.6 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में एवं ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं है।

2.7 निविदाकार के पास कम से कम 05 वाहन टैक्सी कोटे में आर.टी.ओ. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा |इसका विवरण प्रपत्र ए-2 अनुसार प्रस्तुत करें।

2.8 निविदा स्वीकृत होने पर उपलब्ध कराये गये वाहन टैक्सी कोटे में पंजीयन होना अनिवार्य है।

2.9 ट्रेवल एजेंसी द्वारा विगत तीन वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे |

2.10 ट्रेवल एजेंसी को डीज़ल अथवा पेट्रोल के इंधन वाहन ही उपलब्ध कराने होंगे।

2.11 वाहन का प्रकार प्रपत्र A-2 एवम A–3 के अनुरूप ही होना चाहिए।

भाग - 3: निविदा की अन्य शर्तें

3.1 सफल निविदाकार को कुल निविदा राशि की 3 प्रतिशत की निष्पादन प्रतिभूति (राशि रू. नब्बे हजार मात्र) बैंक गारण्टी के रूप में आयोग के पक्ष में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बैंक गारण्टी को राजसात कर उसका नकदीकरण किया जा सकेगा। सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि राशि आयोग द्वारा वापस कर दी जाएगी।

3.2 सफल निविदाकार को आदेश जारी होने के अधिकतम 07 दिवस की अवधि में निष्पादन प्रतिभूति जमा करके आयोग के साथ एक अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध एवं निष्पादन प्रतिभूति जमा न करने पर सफल निविदाकार की धरोहर राशी जप्त कर ली जाएगी एवं सहमत होने पर एल-2 को एल-1 की न्यूनतम दरों पर कार्य करने हेतु आयोग द्वारा अनुबंध की प्रक्रिया की जाएगी |.

3.3 सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करने की पुष्टि बैंक से कराए जाने के उपरांत ही एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।

3.4 आयोग द्वारा सफल निविदाकार की कार्य क्षमता एवं सन्तोषजनक सेवा को देखते हुए अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 01 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया जा सकता है। सेवा में वृद्धि

हेतु स्वीकृत मूल दर में कोई वृद्धि मान्य नहीं होगी। सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर दोनो पक्षों की सहमति से निर्धारित दर पर सेवा अवधि में अधिकतम 03 वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है।

3.5 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 01माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

3.6 कार्य संतोषजनक न होने या ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म का कार्यआदेश/अनुबंध म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी ।

3.7 कार्य में त्रुटि या विलम्ब होने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:

(क) त्रुटि: निविदा में दी गई शर्तों के अनुरूप वाहन सेवा प्रदाय न करने पर मासिक देयक से 5 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

(ख) विलम्ब: विलम्ब से वाहन प्रदाय करने पर उस दिन के किराये की कुल राशि का 10 प्रतिशत एवं वाहन प्रदाय नही करने पर एक दिन के किराये की दो गुनी राशि की कटौती प्रस्तुत देयकों से की जाएगी। (दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय आयोग के विवेकाधीन होगा)।

3.8 निविदा के विनिश्चय हेतु दरें कर रहित (Without Tax) होगी।

3.9 स्वीकृत / अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.10 ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी०डी०एस० की कटौती की जाएगी।

3.11 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु तथ्यपरक कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

3.12 वाहनों के परमिट, रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं रोड टेक्स, पी.यू.सी. प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज का अद्यतन (UPDATE) होना अनिवार्य है। सभी परिवहन नियमों का पालन करना ट्रेवल्स ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

3.13 ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म के वाहन का बीमा इस प्रकार होना चाहिए जिसमें वाहनों के बीमे के साथ वाहन में बैठने वाले सभी व्यक्तियों का बीमा भी शामिल हो।

3.14 वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कमी / त्रुटि की जवाबदारी ट्रेवल ऐजेन्सी फर्म की होगी।

3.15 वाहन चालक को वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उनका व्यवहार /आचरण अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक द्वारा दुर्व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर ट्रेवल्स ऐजेन्सी द्वारा वाहन चालक की वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल करनी होगी।

3.16 आयोग की सेवाओं के दौरान वाहनों की किसी प्रकार की दुर्घटना या चोरी होने पर उससे संबंधित समस्त जवाबदारी ट्रेवल्स-ऐजेन्सी/फर्म की होगी। यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर दो घंटे के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति में स्वयं के व्यय पर वाहन की व्यवस्था करने पर वाहन पर होने वाला समस्त व्यय ट्रेवल एजेन्सी पर भारित होगा।

3.17 भोपाल (मुख्यालय) से बाहर जाने वाले वाहन के वापस आने तक की वास्तविक की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर ही भुगतान देय होगा एवं रात्रि विश्राम शुल्क (Night Halt Charge)राशि रु. 250/- पृथक से देय होगा ।

3.18 पार्किंग एवं टोल को छोड़कर वाहन पर लगने वाले समस्त कर ट्रेवल्स एजेन्सी / फर्म द्वारा वहन किये जावेंगे।

3.19 वाहन में लॉगबुक उपलब्ध करायी जाना आवश्यक होगा जिसमें उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर किलोमीटर अंकित की जाकर पुष्टि की जाएगी। सफल ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म द्वारा प्रत्येक माह देयक दो प्रतियों में सचिव म.प्र निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। इस देयक के साथ लागबुक /ड्यूटी स्लिप एवं उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम, पद तथा हस्ताक्षर सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

3.20 आयोग के कार्य के लिए वाहन बाहर ले जाते समय जो भी टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, परमिट शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी । एजेंसी द्वारा वाहन चालक को वाहन मुख्यालय से बाहर ले जाने पर ईंधन (पी.ओ.एल.) एवं वाहन मरम्मत आदि हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है।

3.21 आयोग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार/क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त कहीं भी कभी भी वाहनों की मांग की जा सकती है। ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को उस स्थान में स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3.22 प्रदाय किये वाहन के माइलोमीटर की रीडिंग कार्यस्थल से प्रारम्भ होकर कार्यस्थल पर समाप्त होगी।

3.23 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर आयोग की क्रय समिति की अनुशंसा से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा /आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.24 वाहन प्राप्तकर्ता विभाग को प्रदाय किये जाने वाले वाहनों का मॉडल वर्ष 2021 अथवा इसके पश्चात का होना अनिवार्य है। आर.टी.ओ. द्वारा टैक्सी परमिट हेतु आवंटित वैध नम्बर व नम्बर प्लेट के बिना कोई भी वाहन स्वीकार नही किया जायेगा।

3.25 निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का किराया देय नहीं होगा।

3.26 ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म की सेवा असंतोषजनक पाये जाने पर निर्धारित दण्ड अधिरोपित किये जाने के बाद भी सुधार न होने की स्थिति में उसका अनुबंध निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी एवं ऐसी स्थिति में संस्था को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

3.27 उक्त अनुबंध के अंतर्गत विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

3.28 वाहन सेवा समय से उपलब्ध कराना फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

3.29 आयोग के अधिकार क्षेत्र में आवश्यकता होने पर फर्म के वाहन को 24x7 सेवाओं के लिए उपलब्ध कराना होगा।

3.30 चयनित निविदाकार से निष्पादन प्रतिभूति राशि Security Deposit के रूप में अनुबंध अवधि तक रखी जायेगी।

3.31 मासिक आधार पर जिस निविदाकर्ता की दरें न्यूनतम होगी उसी निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जायेगी। यदि सफल निविदाकर्ता की दैनिक आधार पर वाहन किराये की दर न्यूनतम नही है तो न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता की दर सफल निविदाकर्ता द्वारा मान्य करने की सहमति ली जायेगी एवं उसी से दैनिक आधार पर भी वाहन आवश्यकतानुसार किराये पर लिये जा सकेंगे, परंतु दैनिक आधार पर देय दरें प्राप्त प्रस्तावों में जो न्यूनतम होगी वे दरे चयनित निविदाकर्ता को मान्य करनी होगी।

3.32 यदि वाहन चालक अवकाश पर जाता है तो किसी अन्य वाहन चालक की सेवा अवकाश अवधि के लिए उपलब्ध करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। वाहन उपयोगकर्ता से किसी प्रकार के विवाद पर वाहन चालक को बदलने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

3.33 वाहन की बाहरी एवं आंतरिक साज-सज्जा एवं नियमित सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी| इस हेतु वाहन के सीट कवर आदि को 15 दिवस में सफाई हेतु बदला जाना अनिवार्य होगा|

3.34 वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार का विवाद नही होना चाहिए| वाहन मध्यप्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए तथा 'एम.पी.' सीरीज के होने चाहिए|

3.35 आवश्यकतानुसार वाहन अन्य स्थानों पर भी शासकीय कार्य से ले जाये जा सकते है|

3.36 वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधिया पूर्णत: वर्जित होगी | वाहन चालक का पुलिस से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा| यदि अधिकारी द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती है तो वाहन प्रदाता एजेंसी को तत्काल वाहन चालक के विरूद्ध कार्यवाही करनी होगी|

3.37 वाहन प्रदाता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व आयोग कार्यालय की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी, क्योकि इससे शासकीय कार्य बाधित होते है| वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की अनुमति उपरान्त ही वाहन एवं वाहन चालक बदला जावेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में उस दिन का भुगतान नही किया जायेगा| अनुबंध अवधि में वाहन पूर्णरूपेण आयोग के आधिपत्य में रहेगे| इस कारण उक्त वाहनों का उपयोग वाहन प्रदाता एजेंसी अन्य कार्यो में नही कर सकेगी |

3.38 परिवहन नियमों के विपरीत वाहन के संचालन या वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी अन्य स्थितियों में किसी भी प्रकार के जुर्माना की राशि को भरने या अन्य-वैधानिक कार्यवाही के लिये निविदाकार एजेंसी स्वयं उत्तरदायी होगी|

3.39 प्राप्त हुई किसी भी निविदा को निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पास सुरक्षित रहेगा|

3.40 निविदा के संबंध में निविदा खोलने के उपरांत कोई पत्र व्यवहार/दस्तावेज मान्य नही होगा|

3.41 देयको से नियमानुसार आयकर एवं अन्य लागू होने वाले करों की कटौती भुगतानकर्ता द्वारा की जायेगी|

3.42 निविदा की शर्तो की पूर्ति न होने की स्थिति में निविदा स्वत: निरस्त मानी जावेगी|

3.43 निविदाकर्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना उपरांत वाहन हटाये जा सकेंगे, परन्तु सेवायें संतोषजनक नही होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास सुरक्षित होगा। इस स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि भी जप्त की जा सकेगी ।

3.44 वाहन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता एजेंसी का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता एजेंसी की होगी।

3.45 उपरोक्त सभी नियम एवं शर्ते अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक से लागू होगी तथा इनका पालन एजेंसी को सुनिश्चित करना बंधनकारी होगा।

3.46 निविदा के नियम एवं शर्तो में संशोधन का अधिकार सचिव, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की किसी शर्त में यदि कोई अस्पष्टता हो तो इस संबंध में अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

सचिव

म.प्र. निजी वि. वि. वि. आयोग भोपाल

निविदा प्रपत्र

प्रपत्र A - 1

प्रति,

सचिव,

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

विषयः- कार्यालय के लिए वाहन सेवाओं के लिए प्रथम ई-निविदा - वर्ष 2025

सन्दर्भ - क्रमांक:................मप्रनिविविविआ/भण्डार/2025, भोपाल दिनांक: ....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी ट्रेवल्स एजेन्सी/फर्म की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	विवरण	जानकारी			
01	ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म का नाम				
02	फर्म का पंजीयन क्रमांक				
03	पैन कार्ड क्रमांक				
04	GST नंबर				
05	औसत टर्नओवर (विगत तीन वित्तीय वर्षो का)	2021-22	2022-23	2023-24	औसत
06	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में वाहन प्रदाय करने का अनुभव(अनुभव प्रमाण पत्र/कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)				
07	परिवहन व्यवसाय का आरटीओ पंजीयन				
08	पत्र व्यवहार का पता				
09	संस्था का बैक विवरण	बैंक का नाम शाखा का नाम अकाउण्ट नं आई एफ एस सी कोड			
10	ट्रेवल्स एजेंसी/फर्म के प्रतिनिधि का नाम				
11	पदनाम				
12	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैन्डलाईन)				
13	ई-मेल				

// प्रमाण-पंत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1","2","3" में दर्शित शर्तों के अनुसार आयोग कार्यालय के लिये वाहन सेवा प्रदाय हेतु निविदा वर्ष-2025 के अंतर्गत किरायें पर वाहन प्रदाय करने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हू ।

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी जानकारी पूर्णत: सत्य है एवं मै निविदा में दर्शित शर्तों को स्वीकार करते हुए म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में अनुबंध आधार पर स्वीकृत दरों पर टैक्सी वाहन प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पाये जाने अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

भाग - 4: तकनीकी निविदा Technical Bid (Tender के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज)

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने की रसीद
2. धरोहर राशि जमा करने की रसीद
3. संस्था का आरटीओ में वैध पंजीयन प्रमाण पत्र
4. पैन कार्ड
5. GST नंबर वैधप्रमाण पत्र
6. टर्नओवर का सत्यापित प्रमाण पत्र (CA द्वारा प्रमाणित) (वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24)
7. आयकर रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति (वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24)
8. हताक्षरित निविदा शर्तें
9. ट्रेवल्स एजेन्सी/फर्म की जानकारी (निविदा प्रपत्र A-1)
10. ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति
11. टेक्सी कोटे में पंजीकृत 05 वाहनों का विवरण (निविदा प्रपत्र A-2)
12. शपथ पत्र

भाग - 4: वित्तीय निविदा (Tender के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज)

1. निविदा प्रपत्र A-3

प्रपत्र A - 2

टेक्सी कोटे में पंजीकृत 05 वाहनों का विवरण

क्र.	वाहन का प्रकार	पंजीकरण संख्या	मॉडल (वर्ष)	बीमा स्थिति
1	होंडा अमेज			
2	हुंडई औरा			
3	मारूति डिजायर			
4	टोयोटा क्रिस्टा			
5	मारुती सियाज			

शपथपत्र नोटरी से सत्यापित

रू. 100/- के स्टाम्प पेपर पर

<u>शपथ-पत्र</u>

मैं--द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स-------------- -- निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि ट्रेवल्स ऐजेन्सी/फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं /उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।

यह कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है। निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल को होगा।

शपथग्रहीता

<u>सत्यापन</u>

मैं उपरोक्त शपथग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है।

शपथग्रहीता

दिनांक:........

स्थान:........

हस्ताक्षर एवं संस्था की मुहर